दिखाई दे रहे हैं और हम आज जो भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे है उसमें संजिदगी न दिखाकर एक-दूसरे पर प्रहार करने का काम किया जा रहा है। आज के संदर्भ में खड़े भ्रष्टाचार के उजागर मामलों में कार्रवाई करने और प्रशासन को पारदर्शी बनाने के बजाए अगर आरोप का जवाब प्रत्यारोप में दिया गया तो इस चर्चा का क्या औचित्य रह जाएगा। आज सारे देश में भ्रष्टाचार के विरोध में माहौल बन रहा है लेकिन हमने इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की तो हम सभी संदर्भहीन हो सकते हैं। अगर सरकार को अपनी और संसद की गरिमा का ख्याल है तो उसे तर्क-वितर्क से बाहर निकल कर भ्रष्टचार के खिलाफ ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी, नहीं तो जनता का फिर वही नारा गूंजेगा की 'अब जनता आती है, सिंहासन खाली करो''। इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि बहुत दिनों के बाद अंततः इस सदन में भ्रष्टचार के मुद्दे पर बहस हुई। मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया।

महोदया, भ्रष्टचार एक मुख्य राष्ट्रीय मुद्दा है, इस बारे में सारा देश एकमत है। हमें इस समस्या से निपटने के लिय विश्वसनीय दृष्टिकोण विश्वसनीय हल निकालने के लिये सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिये, यह भी हमारे देश में प्रबुद्ध जनमत के सभी वर्गों को एकजुट करने वाला मामला है।

महोदया, मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं और हमारी सरकार की ओर से मैं इस सम्मानित सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ढ़ाई वर्ष जो हमारे पास बचा है, उस अवधि में हम देश में तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने में अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे।

महोदया, डॉ. मुरली मनोहर जोशी यहां नहीं है। कल उन्होंने एक बहुत प्रभावी भाषण दिया था और उसे मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले के रूप में बदल दिया जैसाकि मैं भ्रष्टाचार के शीर्ष पर हूं और अपने कुछ सहकर्मी के भ्रष्टाचार में जानबूझकर संलिप्त रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य, कृपया शांत रहे। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

डॉ. मनमोहन सिंहः महोदया मैं इन मुद्दों पर जो लोक लेखा समिति या न्यायालय में विचाराधीन हैं पर तर्क करना अपनी मर्यादा के अनुकुल नहीं समझता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे सात वर्षों के दौरान, यहां तक कि जब विपक्षी सदस्यों ने भी मुझ पर कई अपराधों के आरोप लगाए तब भी मैंने इस सदन के सदस्यों के आचरण का वर्णन करने में कभी भी कठोर भाषा का उपयोग नहीं किया।

महोदया, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मेरा लगभग 41 वर्ष तक का सार्वजनिक जीवन देश की सेवा में बीता है। इन 41 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में संसद में अपने 20 वर्ष के दौरान मैंने यथासंभव देश की सेवा करने का प्रयास किया है।

एक वित्त मंत्री के रूप में मुझे एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जिसमें खजाना था, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो चुके थे, हमारे देश की साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया था। हम अर्थव्यवस्था को प्रगति के रास्ते पर लाये। हमने सुनिश्चित किया कि यह अर्थव्यवस्था जो दिवालिया हो चुकी थी जो हमें विरासत में मिली थी, वह विश्व की सर्वाधिक तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बन गई।

महोदया, विपक्षी सदस्य जो भी कहें, वस्तुस्थिति यह है कि भारत का विश्वभर में आदर किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह हमारी अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था की अन्तर्निहित सुदृढता चाहे भले ही सीमा रेखा पर हो के कारण इन सात वर्षों के दौरान या पहले वित्त मंत्री के रूप में मैंने इस देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में अपना संक्षिप्त योगदान दिया है और इसलिए जब मेरे उपर आरोप लगे हैं तो मुझे पीड़ा होती है। परंतु मैं इस मंच को किसी न किसी रूप में आरोप-प्रत्यारोप लगाने के मंच के रूप में नहीं बदलना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं नेता, विपक्ष को आमंत्रित करता हूं कि वे मेरी सम्पत्ति की जांच करें जो मैंने इन 41 वर्षों में इकट्ठी की है या मेरे परिवार के सदस्यों ने इकट्ठी की है...*(व्यवधान)*

मैं विपक्ष की नेता के निर्णय को स्वीकार करूंगा यदि वे यह पाते हैं कि मैंने अपने लिए अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए धन जमा करने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग किया है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, सात वर्षों में प्रधानमंत्री रहते हुए, मैंने गलतियां की होंगी। गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां करना मानव स्वभाव है परंतु भ्रष्टाचार में दूसरों का साथ देने के बुरे इरादे रखने का आरोप एक ऐसा आरोप है जिसको मैं पूर्णतया अस्वीकार करता हूं।

महोदया, यह एक-दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है और मैं इस मामले पर कार्रवाई नहीं करने जा रहा क्योंकि यह न्यायालय के समक्ष या संसद के विभिन्न समितियों के समक्ष विचाराधीन है और वे अपना निष्कर्ष निकालेंगे। तथापि, मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामी समस्या है। इसलिए एक राष्ट्र के रूप में हमें इसका निदान करने के लिए व्यवहार्य प्रगतिशील परंतु प्रभावी तरीके ढूंढने होंगे और यह केवल केन्द्र सरकार का दायित्व ही नहीं है। राज्य सरकारें देश के कुल व्यय के 50 प्रतिशत के लिए जवाबदेह है और राज्य सरकारों का आचरण जो लोगों के सरकार के साथ सम्पर्क का माध्यम है आवश्यक रूप से राज्यों का दायित्व है। देश में गुस्सा है। सरकारी पदों के दुरूपयोग के बारे में गुस्सा है।

इसलिए केन्द्र और राज्य दोनों के स्तर पर हमारा दायित्व है कि हम शासन तंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करें और उसमें सुधार लायें तथा यह सुनिश्चित करें कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लोक प्रशासन का ऐसा तंत्र विकसित कर पाएं जो इक्कीसवी सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। मैं अपनी सरकार को ठीक ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध करता हूं।

लाल किले की प्राचीर से देश को अपने सम्बोधन में मैंने कई ऐसे क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया था जिन पर आगामी कुछ महीनों में मैं चाहूंगा कि सरकार पहल करे और लाल किले की प्राचीर से मैंने जो वादा किया उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं।

महोदया, भ्रष्टाचार के असंख्य स्रोत हैं। 90 के दशक की शुरूआत में लाइसेंस प्रणाली, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात नियंत्रण तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोते था। हमने जो उदारीकरण लाया उससे भ्रष्टचार की इस कहानी का अंत कर दिया।

भ्रष्टाचार का एक मुख्य क्षेत्र कर की दरें हैं जो अत्यन्त ऊंची थीं जिससे लोग अपने कर-दायित्व को कम करने के लिए भ्रष्ट आचरण करते थे। हमने और हमारी सरकारों ने कर प्रणाली को सरल बनाते हुए उसे व्यवस्थित करने के लिए कड़ा परिश्रम किया और जहां तक कराधान संबंधी मामलों का संबंध है इनमें भ्रष्टाचार की गुंजाईश कम है। यद्यपि में मानता हूं कि अभी गुंजाईश है और हमें विभिन्न प्रणालियां, जिनमें वस्तु तथा सेवा कर भी शामिल है, के माध्यम से जोकि सार्वजनिक है और मैं समझता हूं कि एक उत्तरदायित्व है जिसे हमारे देश को पूरा करना ही पड़ेगा यदि वह आगे बढ़ना चाहता है। परंतु कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भ्रष्टाचार अभी भी विद्यमान है। हमें कई तरीके से इस समस्या से निपटना है।

केन्द्र सरकार के कई कार्यक्रम हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है परंतु कई जगह खामियां है। इसलिए हमें लोक प्रशासन की व्यवस्था में सुधार लाने के उपायों को खोजना होगा ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक तरीके से कार्य नहीं करने पर काफी अधिक टिप्पणी की जा चुकी है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित किए जाने के लिए नए तरीके ढूंढ़ने चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

यह एक ऐसा दायित्व है जिसका निर्वहन हम सिर्फ राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग से ही कर सकते हैं और हमें इसका निवर्हन करना ही चाहिए, परंतु मैं चाहूंगा कि यह सभा सार्वजनिक विवरण प्रणाली में सुधार का समर्थन करे जहां आम जनता सरकारी तंत्र के संपर्क में आती है अथवा आजीविका बनाए रखने की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सुधार किया जाए।

महोदया, अन्य स्रोत वह है जहां सरकारी ठेके इस प्रकार से दिए जाते हैं जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि कुछ गलत हो रहा है। इसलिए हमें एक लोक प्रापण अधिनियम बनाने की आवश्यकता हैं, जैसाकि कुछ अन्य देशों में है और यह अपनी ठेका प्रणाली को इस प्रकार से सुचारू बनाने के लिए है जिसमें भविष्य में भ्रष्टाचार की कम संभावना होगी।

महोदया, कतिपय क्षेत्रों में स्वयं अधिक प्रतिस्पर्धी से भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी परंतु हम जानते है कि अवसंरचना के क्षेत्र हैं जहां सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा सीमित होगी।

विनियमन की भी संभावना है। हमने पिछले कुछ वर्षों में विनियमक तंत्र बनाया है परंतु इन विनियामक तंत्रों का वर्गीकरण विशेषकर अवसंरचना प्रबंधन के संबंध में थोड़ा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह एक और ऐसा क्षेत्र है जहां हम अपने विनियामक तंत्र को सुचारु बनाने हेतु अथोपाय तलाश सकते हैं ताकि भ्रष्टाचार की संभावना कम रहे।

मैं अपनी बात को जारी रख सकता था परंतु मैंने जो कुछ लाल किले की प्राचीर से कहा था उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं सभा को आश्वासना देता हूं कि हमने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए जनता की जानकारी में पूर्ण प्रयास

करेंगे। मैंने श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है जो केन्द्र के मंत्रियों के पास रहने वाले स्वविवेक को कम करने के लिये उसके क्षेत्र का अध्ययन करेगा।। इस समूह ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाएगा और जनता के हित को नुकसान पहुंचाए बिना अथवा जनहित के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसके लिए विवेकाधीन शक्ति के दुरूपयोग की संभावना कम करने अथवा विवेकाधीन शक्ति को समाप्त करने हेतु तंत्र बनायेंगे।

महोदया, यह भ्रष्टाचार के संदर्भ में है जिसमें पिछले कुछ सप्ताहों में बड़े घटनाक्रम देखें हैं। श्री अन्ना हजारे अनशन पर चले गए है उनकी दलीले है कि हम उनके द्वारा बनाए गए जनलोकपाल विधेयक को अनाएं। इस पूरे प्रयास की पृष्ठभूमि से यह सम्मानित सभा भलीभांति अवगत है। हमने स्वयं अन्ना हजारे सहित उनके पांच प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की थीं जो पांच प्रतिनिधियों से मिले और हमें किस प्रकार का विधेयक बनाना चाहिए उसके बारे में अधिकांश सहमति हो चुकी थी। कतिपय मामलों पर असहमति थी और इस असहमति को दूर नहीं किया जा सका तथा इसीलिए हमने उस मामले को सर्वदलीय बैठक में विचार हेतु भेजा और यह सर्वसम्मति बनी की सरकार को अपना विधेयक लाना चाहिए और विभिन्न दलों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी कि उस विधेयक का क्या किया जाए। हमने यह दायित्व विभाग हमने विधयेक संसद में प्रस्तुत किया अब इसे स्थायी समिति को भेज जा चुका है।

यह स्थायी समिति सभी विकल्पों पर विचार कर सकती है और हम यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय कर सकते हैं कि श्री अन्ना हजारे द्वारा तैयार किये गये विधेयक पर इस समिति द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है। और इसके साथ अन्य विचार भी है। डॉ. जय प्रकाश के समूह ने विधेयक प्रस्तुत किया है, श्रीमती अरूणा राय द्वारा एक पत्र में विचारों का उल्लेख किया गया है। स्थायी समिति में इन सभी मामलों पर चर्चा और वाद-विवाद किए जा सकते हैं और सर्वसम्मति बनाई जा सकती है। हमने सभी सुझावों के लिए विकल्प खुले रखे हैं। हम सशक्त, प्रभावी और राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ लोकपाल बनाने हेतु इस सभा के सभी वर्गों के साथ कार्य करेंगे।

हमने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जो हमारी सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। परंतु हम विचार-विमर्श के लिये खुले मन से तैयार है और जब इस विधेयक पर संसद अथवा स्थायी समिति में चर्चा करेंगे तो हम एकत्रित होकर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे कि हम भावी पीढ़ी को ऐसा लोक पाल विधेयक देंगे जो पिछली बातों को पीछे छोड़ दें और भ्रष्टाचार की चुनौती से निपटने हेतु हमारी चिंताओं का समाधान करे।

महोदया, कल सभी राजनीतिक दलों की बहुत अच्छी बैठक हुई थी। सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत थे कि हमें श्री अन्ना हजारे से अपना अनशन समाप्त करने का अनुरोध करना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय तलाशने चाहिए कि जो विचार जब लोकपाल विधेयक में प्रतिबिंबित किए गए थे उन पर संसदीय प्रक्रियाओं में पर्याप्त विचार किया जाए और हमें सशक्त प्रभावी विधेयक लाना चाहिए जिसे पूरे देश का व्यापक समर्थन प्राप्त हो। मैं इस सदन को पूरा करने हेतु सभा के सभी वर्गों के साथ कार्य करने के लिए अपनी सरकार की ओर से वचनबद्ध हूं। इसलिए मैं सभा के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे मेरे साथ मिलकर श्री अन्ना हजारे से अपील करें कि वह अपनी बात कह चुके हैं। यह बात हमारे ध्यान में रख ली गई है। मैं उनके आदर्शवाद का सम्मान करता हूं। एक व्यक्ति के रूप में मैं उनका आदर करता हूं। वह भ्रष्टाचार के प्रति घृणा और उससे निपटने हेतु वह जनता के लिए प्रतीक बन चुके हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं उन्हें सलाम करता हूं। उनका जीवन अति मूल्यवान हैं और इसलिए मैं श्री अन्ना हजारे से आग्रह करता हूं कि वह अपना अनशन समाप्त करें।

हम विधेयक के सरकारी संस्करण और श्रीमती अरूणा राय के विधेयक और डॉ. जय प्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत विचारों के साथ जनलोकपाल विधेयक पर चर्चा करने हेतु प्रभावी उपाय तलाशेंगे। सभी विचारों पर चर्चा और वाद-विवाद किए जाने चाहिए ताकि हम एक ऐसा विधेयक बना सकें जो यथासंभव सर्वोत्तम विधेयक हो, जो भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने मे हमारी सहायता करें।

महोदया, मुझे बताया गया है कि श्री अन्ना हजारे और उनके सहयोगी उस बात के लिये अति उत्सुक हैं कि उनके विधेयक पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। मैंने इस मामले पर गहराई से विचार नहीं किया परंतु मुझे ध्यान आता है कि शायद हम जनता से जुड़े उन सभी विधेयकों पर इस सभा में चर्चा कर सकते थे और हम इस बात पर चर्चा कर सकते थे कि विभिन्न विधेयकों के कमजोर मुद्दे क्या हैं और विभिन्न विधेयकों के मजबूत मुद्दे क्या हैं और उस वाद-विवाद के अंत में पूरे रिकार्ड को विचार-विमर्श हेतु संसदीय स्थायी समिति को भेजते हैं। मेरा मानना है कि इससे श्री अन्ना हजारे की यह मांग पूरी हो जाएगी जो श्री अन्ना हजारे और उनके साथी करते आ रहे हैं कि संसद विधेयक को स्थायी समिति को भेजे जाने से पहले संसद को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, मैं इस सम्मानीत सभा से निवेदन करता हूं कि यह उपाय संसदीय सर्वोच्चता का सम्मान करेगा और ऐसे में ससंद श्री अन्ना हजारे तथा उनके साथियों द्वारा लोकपाल विधेयक में वर्णित विचारों पर चर्चा कर पाएगी।

महोदया, मैं इस सभा के सभी वर्गों से अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो मैंने श्री अन्ना हजारे से की है कि उनका जीवन अति मूल्यवान है।

हम चाहेंगे कि वह दीर्घजीवी हों तथा अपनी जनता की सेवा में प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिएं।

उन्होंने अपनी बात कह दी है। इसलिए हम आदरपूर्वक उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अपना अनशन समाप्त करें मेरे विचार है कि यदि वह ऐसा करते हैं तो यह भ्रष्टाचार और इससे निपटने के मामले पर इस अति रचनात्मक वाद-विचाद का समुचित समापन होगा जो इस सभा में कल से चल रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी ने अन्ना हजारे जी से अनशन त्यागने की जो अपील की है, मुझे लगता है कि यह अपील सारे सदन की अपील बन जाए तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। मैं विपक्ष की तरफ से स्वयं को संबद्ध करते हुए यह अपील करना चाहूंगी कि श्री अन्ना हजारे अपना अनशन त्याग दें। उनकी प्रभावी और सशक्त लोकपाल बिल लाने की जो मांग है, मैं यहां से कहना चाहती हूं कि देश एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब यहां जो बैठे हुए हैं, एक बहुत प्रभावी लोकपाल बिल लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम ऐसा बिल लाएंगे। हम इस सदन से उन्हें आश्वासन देते हैं कि हमें कितना भी संशोधन करना पड़े, हम इस सदन से एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल बिल निकालकर लाएंगे। यह सदन उनसे अपील करता है कि आपका जीवन अमूल्य है, इसलिए आप अपना अनशन त्याग दें। यह पूरे सदन की तरफ से अपील अन्ना हमारे जी को चली जाए। इसके लिए मैं खड़ी हुई हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मेरे विचार से सभी इस बात से सहमत है और सभी अपने को इससे संबद्ध करना चाहेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो अपील आयी मैं भी चाहूंगी कि पूरे सदन की तरफ से यह एक आवाज अन्ना हजारे जी के पास जाए कि वह हम सब की अपील पर अपना अनशन अब समाप्त करें। उनका जीवन बहुमूल्य है और उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, उस पर हम लोगों ने गहन विचार-विमर्श किया है, आगे भी इस पर करेंगे और एक बहुत ही प्रभावी कदम भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए उठाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री दारा सिंह चौहान एवं श्री शैलेन्द्र कुमार इस विषय से अपने को संबद्ध करते हैं

अपराह्न 12.28 बजे

(दो) श्रीलंका में तमिलों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनके कल्याण हेतु अन्य उपाय-जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब मद सं. 14, श्री टी.आर. बालू

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बुदूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत भारी मन से मैं श्रीलंकाई तमिलों के नरसंहार और दुर्दशा पर यह चर्चा शुरू करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: मैं समझता हूं कि ऐसा इस सभा में तीसरी बार है कि मैं इस कष्टप्रद मामले को उठा रहा हूं। माननीय संसद माननीय सदस्यगण सभा को बाधित नहीं करेंगे क्योंकि मैं श्रीलंकाई तमिलों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरूआत कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

महोदया, उस दिन मैंने श्रीलंकाई तमिलों के नरसंहार और दुर्दशा के बारे में उल्लेख किया।...*(व्यवधान)* यह मनगढ़ंत नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है, जिसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पुष्टि की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: चेयरमैन के रूप में इंडोनेशिया के श्री मारजुकी डारूसमैन, संयुक्त राज्य अमेरिका के श्री स्टीवेन रैटनर और दक्षिण अफ्रीका की महोदया यासमीन सुका वाले पैनल

...(व्यवधान)